डीजी-परिपत्र संख्या-14/2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ ।
दिनांक : लखनऊः अप्रैल18,2020

विषयः- गोवंश के वध की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि गोवंश के वध एवं अवैध परिवहन तथा तस्करी की प्रभावी रोकथाम हेतु मुख्यालय स्तर से समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश पार्श्वांकित परिपत्रोंके माध्यम से अनुपालनार्थ निर्गत किये गये हैं। वर्तमान में सम्पूर्ण देश में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन होने के बावजूद भी प्रदेश में गोवध की घटनायें लगातार घटित हो रही है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त परिपत्रों का पूर्णतः अनुपालन नही किया/कराया जा रहा है।

डीजीपरिपत्र संख्याः-69/2015 दिनांक 13.10.2015
डीजीपरिपत्र संख्याः-04/2017 दिनांक 24.03.2017
डीजीपरिपत्र संख्याः-48/2018 दिनांक 04.09.2018

विगत कुछ दिनों के अपराध आंकड़ों के अवलोकन से यह पाया गया कि कतिपय जनपदों में गोवंश के वध की घटनाओं में वृद्धि हुई है साथ ही यह भी संज्ञान में आया है कि इस प्रकार की घटनाओं पर जनपद पुलिस द्वारा समुचित विधिक कार्यवाही नही की जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर एवं आपत्तिजनक है तथा शासन की मंशा के सर्वथा विपरीत है।ऐसी आपराधिक घटनाओं के होने से साम्प्रदायिक सद्भाव प्रभावित होने एवं कानून-व्यवस्था की विषम स्थिति पैदा होने की पूर्ण सम्भावना रहती है । इस प्रकार की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित निर्देश पुनः निर्गत किये जा रहे हैं:-

- जनपद में जहॉ पर भी गोवंश के वध किये जाने अथवा वध का प्रयास किये जाने की सूचना प्राप्त हो तो तत्काल संज्ञान लेकर अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की जाये तथा ऐसे अभियोगों की विवचेना के दौरान पुष्टिकारक एवं मजबूत साक्ष्यों का संकलन करते हुए संलिप्त अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये साथ ही विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त ऐसे मामलों में मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर शीघ्र विचारण कराते हुए अभियुक्तों को सजा दिलायी जाये।
- जनपद के जिन थाना क्षेत्रों में उक्त घटनायें निरंतर हो रही हो उन्हें Hot spot रूप में चिन्हित करते हुए उनके प्रभावी रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर एक कार्य-योजना तैयार की जाये।
- जनपद प्रभारी अपने निकट पर्यवेक्षण में ऐसे गिरोहो को चिन्हित करेंगें जो इस प्रकार के अपराधों को संगठित अपराध के रूप में कारित कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही का दायित्व थाना प्रभारी का होगा।
- ऐसे गिरोहो को चिन्हित कर अभियुक्तों के विरूद्ध साक्ष्याधार पर गैंगेस्टर एक्ट व रा0सु0का0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये तथा ऐसे अपराधियों के विरूद्ध गैगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही भी की जाये।

- यदि इस प्रकार के अपराधों में पर्यवेक्षण अधिकारी/थाना प्रभारी/बीट उपनिरीक्षक/बीट आरक्षी की शिथिलता या संलिप्तता पायी जाती है तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
- जनपद के जिस भी थाना क्षेत्र में गोकशी की घटनायें निरन्तर घटित हो रही हैं ऐसे थाना प्रभारियों का उत्तर दायित्व का निर्धारण करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।
- गोवध की घटनाओं के रोकथाम हेतु एक प्रभावी अभिसूचना तंत्र विकसित किया जाये ताकि इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों की जानकारी प्राप्त होती रहे तथा उनकी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए त्वरित कार्यवाही की जाये।
- जोन एवं परिक्षेत्र स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा करते हुए ऐसे अपराधों पर पूर्ण नियन्त्रण हेतु प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाये।
- इस मुख्यालय द्वारा भी जनपद स्तर पर की जा रही कार्यवाही का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। किसी भी अधिकारी की शिथिलता परिलक्षित होने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु बाध्य होना पडेगा।

अपेक्षा है कि शीर्ष वरीयता पर उपरोक्तानुसार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली समस्त इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करायें एवं इस प्रकार के अपराध को रोकने एवं अपराधियों की प्रभावी धर पकड़ हेतु हर सम्भव प्रयास पूर्ण मनोयोग के साथ करें ।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध3०प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेषक, 3०प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, 3०प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ, 3०प्र0।